



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18022026-270265
CG-DL-E-18022026-270265

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 820]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 17, 2026/माघ 28, 1947

No. 820]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 17, 2026/MAGHA 28, 1947

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2026

का.आ. 860(अ).— आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 के साथ पठित मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश, 2005 के अनुच्छेद 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.जा. संख्या 2133 (अ), दिनांक 2 जून, 2021 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पहले कारित अथवा अकारित कार्यों के सिवाय, केंद्रीय सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि तेल कंपनियां राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्दिष्टों और 95 का न्यूनतम अनुसंधान ऑक्टेन संख्या (आरओएन) के अनुसार बीस प्रतिशत तक एथेनाॅल युक्त एथेनाॅल मिश्रित मोटर स्पिरिट का विक्रय कर सकेंगी:

बशर्ते कि केंद्र सरकार विशेष परिस्थितियों में, तेल कंपनियों को भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार आरओएन विनिर्दिष्टों को पूरा करने वाली एथेनाॅल मिश्रित पेट्रोल को विनिर्दिष्ट अवधि और क्षेत्रों हेतु विक्रय की अनुमति दे सकती है।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2026 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. पी-13032(17)/5/2024-सीसी-भाग(1) (ई-55075)]

रोहित माथुर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th February, 2026

S.O. 860(E).—In exercise of powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) read with paragraph 6 of Motor Spirit and High Speed Diesel (Regulation of Supply and Distribution and Prevention of Malpractices), Order, 2005, and in supersession of the notification of the Government of India, Ministry of Petroleum and Natural Gas published in the Gazette of India, Extraordinary Part-II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* S.O. number 2133 (E), dated the 2nd June, 2021, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby directs that the oil companies shall sell Ethanol Blended Motor Spirit with percentage of Ethanol up to twenty per cent as per the Bureau of Indian Standards specifications and having minimum Research Octane Number (RON) of 95, in the States and the Union territories:

Provided that the Central Government may, in special circumstances, allow the oil companies to sell Ethanol Blended Petrol meeting the RON specifications as per Bureau of Indian Standards, for specified period and regions.

2. This notification shall come into force on the 1st April, 2026.

[F. No. P-13032(17)/5/2024-CC-Part(1) (E-55075)]

ROHIT MATHUR, Jt. Secy.